

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक:प.15(1)जं.सं/17(3)

जयपुर,दिनांक: 26.09.2018

कार्यालय-आदेश

जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित अभियन्ताओं का स्थानान्तरण/संशोधित पदस्थान राज्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्थान पर किये जाने के आदेश एदत्द्वारा जारी किये जाते हैं:-

| क्र.सं. | नाम व पद | कहाँ से | कहाँ को |
|---------|--|---|--|
| 1. | श्री रघुवीर दास अरोड़ा, अधिशाषी अभियन्ता | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर | अधिशाषी अभियन्ता गुण नियंत्रण खण्ड, श्रीगंगानगर (श्री रामहंस सैनी के स्थान पर) |
| 2. | श्री रामहंस सैनी, अधिशाषी अभियन्ता | अधिशाषी अभियन्ता, गुण नियंत्रण खण्ड, श्रीगंगानगर | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर (श्री रघुवीर दास अरोड़ा के स्थान पर) |
| 3. | श्री लखन लाल गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता | अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रा० सहा० वास्ते अधी० अभि० ईसरदा परि० वृत टोंक। | अधिशाषी अभियन्ता कैनल खण्ड प्रथम, माही परियोजना बॉसवाड़ा |
| 4. | श्री ओंकारराम बंसल, अधिशाषी अभियन्ता | अधिशाषी अभियन्ता कैनल खण्ड प्रथम, माही परियोजना बॉसवाड़ा | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड राजसमन्द |
| 5. | श्री रामचरण मीणा, अधिशाषी अभियन्ता | अधिशाषी अभियन्ता गुण नियंत्रण खण्ड डूंगरपुर | अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रा० सहा० वास्ते अधी० अभि० ईसरदा परि० वृत टोंक। (श्री लखन लाल गुप्ता के स्थान पर) |
| 6. | श्री मोहन कुमार, सहायक अभियन्ता | सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड लखूवाली (सुरतगढ ब्रांच जल संसाधन खण्ड प्रथम, सुरतगढ) | सहायक अभियन्ता रेगूलेशन उपखण्ड इंगानप बिरधवाल हैड (रिक्त पद पर) |
| 7. | श्री रवि कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता | सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड द्वितीय (20वां खण्ड) प्रशासनिक नियंत्रण टी एम सी खण्ड, इंगानप नाचना। | सहा० अभि० नहर उपखण्ड द्वितीय, बिसलपुर परि० टोंक (रिक्त पद पर) |
| 8. | श्री चैनाराम, सहा० अभि० | सहा० अभि०, जल संसाधन उपखण्ड पाली। | सहा० अभि० जल संसाधन उपखण्ड पिण्डवाड़ा, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर। (रिक्त पद पर) |
| 9. | श्री अरुण कुमार वैद्य, सहा० अभि० | सहा० अभि० (डी एण्ड एम-प्रथम) कार्या० मुख्य अभियन्ता सीएडी (पश्चिम बीकानेर) | सहा० अभि० (अधी० अभि० प्रशासन-द्वितीय) कार्या० मुख्य अभि० इंगानप बीकानेर (रिक्त पद पर) |



| | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 10 | श्री अनिरुद्ध शर्मा, सहा० अभि० | सहा० अभि० नहर उपखण्ड तृतीय, माही परि० नहर खण्ड प्रथम बांसवाड़ा। | सहा० अभि० गुण नियंत्रण भरतपुर (रिक्त पद पर) |
|----|-----------------------------------|---|--|


राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.09.2018 के क्रम संख्या 7 पर अंकित श्री भगवती प्रसाद जोशी, अधिशाषी अभियन्ता का अधि० अभि० (वादकरण) कार्या० अति० मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग उदयपुर से किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.09.2018 के क्रम संख्या 16 पर अंकित श्री कालूलाल मीना के कॉलम "कहाँ को" में "सहा० अभि० एवं तक० सहा० वास्ते अधि० अभि० जल संसाधन खण्ड, बूंदी" के स्थान पर "सहा० अभि० एवं तक० सहा० वास्ते अधि० अभि० एल एम सी खण्ड, सीएडी बूंदी" किया जाता है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.09.2018 के क्रम संख्या 42 पर अंकित श्री लक्ष्मी माली के कॉलम "कहाँ को" में "सहा० अभि० राजगढ़ मध्यम सिंचाई उपखण्ड-द्वितीय, भवानीमण्डी" के स्थान पर "सहा० अभि० जल संसाधन उपखण्ड भवानीमण्डी, चंवली जल संसा० परि० नहर खण्ड, झालावाड़" किया जाता है। इनका पदस्थापन दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी होगा।


राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.09.2018 के क्रम संख्या 05 पर अंकित श्री रामेश्वर दयाल शर्मा के स्थान पर श्री रामेश्वर दयाल किया जाता है।

आज्ञा से


(सी० आर० मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों की पालना तुरन्त सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(फूलचन्द नामा)
सहायक शासन सचिव